

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 24/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड सैकिण्ड प्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग,  
सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी **आँचल शर्मा**  
-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

**बनाम**

1. **ओमप्रकाश वर्मा पुत्र कन्हैयालाल जाति बलाई**

प्रथम पता- पट्टा नम्बर 9, ग्राम पंचायत धींगपुर, पलसाना, दांतारामगढ़,  
सीकर-332601 राजस्थान

द्वितीय पता- वार्ड नं. 5, धींगपुर, सीकर, राजस्थान-332601

तृतीय पता- मार्फत भाटी टेलर, धींगपुर, सीकर, राजस्थान-332601

2. **सुगना देवी पत्नि ओमप्रकाश वर्मा जाति बलाई**

3. **सुशीला देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति बलाई**

प्रथम पता- पट्टा नम्बर 9, ग्राम पंचायत धींगपुर, पलसाना, दांतारामगढ़,  
सीकर-332601 राजस्थान

द्वितीय पता- जोहरी बाजार वार्ड नं. 5, धींगपुर, तहसील दांतारामगढ़ सीकर,  
राजस्थान-332601

-अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of security  
interest Act. 2002.

**निष्पत्ति**

दिनांक:-22 जुलाई, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेन्द्र कुमार स्वामी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **ओमप्रकाश वर्मा पुत्र कन्हैयालाल, सुगना देवी पत्नि ओमप्रकाश एवं सुशीला देवी पत्नि कन्हैयालाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुशीला देवी** के



  
**कमर चौधरी**  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट विथ पट्टा नम्बर 9, ग्राम पंचायत धींगपुर, पंचायत समिति पलसाना, तहसील दांतारामगढ़, सीकर-332601 राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में प्लाट ऑफ श्रवण लाल बलाई, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा जमीन महेश कुमार अग्रवाल स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 4,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये चार लाख ) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 23.11.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 23.11.2023 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 कमशः ओमप्रकाश वर्मा पुत्र कन्हैयालाल, सुगना देवी पत्नि ओमप्रकाश एवं सुशीला देवी पत्नि कन्हैयालाल की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सुशीला देवी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट विथ पट्टा नम्बर 9, ग्राम पंचायत धींगपुर, पंचायत समिति पलसाना, तहसील दांतारामगढ़,



  
कमल चौधरी  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सीकर-332601 राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में प्लाट ऑफ श्रवण लाल बलाई, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा जमीन महेश कुमार अग्रवाल स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का रथगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 22 जुलाई, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(कमर उल जमान चौधरी)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
कमर चौधरी  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर